उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-2

संख्या-1/3260/26-2-2014

लखनऊः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2014

निदेशक,

समाज कल्याण,

उ0प्र0 लखनऊ।

आप अवगत है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन0एस0ए0पी0) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्तमान में प्रदेश में 04 योजनायें संचालित किये जाने हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गई है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, जबकि इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना क्रमशः महिला कल्याण एवं विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

2- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन0एस0ए0पी0) संचालित योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपलब्ध केन्द्रीय सहायता की कुल धनराशि रू0 1493.15833 करोड़ (वर्ष 2013-14 में प्राप्त ए0सी0ए0+ दिनांक 01.04.2013 को उपलब्ध ओपनिंग बैलेंस) के सापेक्ष आपके पत्र दिनांक 15.07.2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार कुल धनराशि रू0 1240.0048688 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेजा जा चुका है और रू0 253.1534612 करोड़ दिनांक 01.04.2014 को वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु ओपनिंग बैलेंस के रूप में उपलब्ध है, जिसमें रू0 70.20 लाख इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना की अप्रयुक्त धनराशि भी सम्मिलित है। इस प्रकार रू0 253.1534612 करोड़ - रू0 70.20 लाख = रू0 252.4514612 करोड़ की धनराशि को वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एंव इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में व्यय किया जाना है।

3- उपर्युक्त अंकित स्थिति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु कुल बजट प्राविधान भारत सरकार से अपेक्षित ए0सी0ए0 की धनराशि, भारत सरकार से योजना में एलोकेट एस0सी0ए0 की धनराशि आदि का विवरण निम्नवत् हैः-

http://shasanadesh.up.nic.in

(धनराशि करोड़ रू0 में)

योजना का नाम	कुल बजट प्रावधान (80+83)	भा0स0 से अपेक्षित ए0सी0ए0 निदेशालय के अनुसार	भा0स0 द्वारा एलोकेट ए0सी0ए0	ए0सी0ए0 गैप (कालम 3-4)	1-4-14 को उपलब्ध ए0सी0ए0 का प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5	6
वृद्धावस्था पेंशन	1613.5919	1140.00	964.4986	175.5014	156.9859612
पारिवारिक लाभ योजना	419.00	246.00	150.5345	95.4655	95.4655
योग	2032.5919	1386.00	1115.0331	270.9669	252.4514612

4- इस प्रकार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में दिनांक 01.04.2014 को उपलब्ध ओपनिंग बैलेंस की धनराशि रू0 253.1534612 करोड़ में विकलांग पेंशन की अप्रयुक्त धनराशि रू0 70.20 लाख को घटाने के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 252.4514612 करोड़ में से इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में धनराशि रू0 156.9859612 करोड़ व राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि के अतिरिक्त आवश्यक धनराशि रू0 95.4655 करोड़ अर्थात कुल धनराशि रू0 252.4514612 करोड़ व्यय हेतु आपको आवंटन किया जा रहा है।

5- अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार सम्बन्धित योजना के लिए निर्धारित धनराशि का उपयोग विभाग के अनुदान संख्या के अन्तर्गत निर्धारित योजना में करने का कष्ट करें तथा वर्ष 2014-15 में व्यय की गई धनराशि का व्यय विवरण तथा उसके सापेक्ष उपभोग प्रमाण-पत्र इस अनुभाग को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-3260(1)/26-2-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उप सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एन0एस0ए0पी0 डिवीजन) भारत सरकार, रूम नं0 711 ए, 11-ब्लाक, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-10001

3- राज्य योजना आयोग-1, उ0प्र0 शासन।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

5- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता अनुभाग), उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

राज कुमार त्रिवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in